

कार्यालय कलेक्टर कटनी जिला कटनी (म0प्र0)

क्रमांक / 3926 / कोरोना-19 / 2020

कटनी दिनांक 06 / 05 / 2020

आदेश

भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01 मई 2020 से दिये गये निर्देशानुसार नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौरान देश में पूर्ण लोक डाउन होने से शादी/विवाह हेतु गाईड लाईन जारी की गई है। उक्त गाईड लाईन अनुसार, साशल डिस्टेंसिंग एव स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुये जिले में सम्पन्न होने वाली शादी/विवाह की नियमानुसार अनुमति जारी करने हेतु जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/इंशिडेंट कमीडर को अधिकृत किया जाता है। वे अपने अपने अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत आवेदन प्राप्त कर अपने स्तर पर नियमानुसार शादी/विवाह की अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किये जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


कलेक्टर
जिला कटनी

पृ. क्र. / 3926 / कोरोना-19 / 2020

कटनी दिनांक 06 / 05 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक, कटनी की ओर सूचनाार्थ।
2. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी कटनी की ओर सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी / विजयराघवगढ / बहोरीबद / दीमरखेडा की ओर सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नोडल अधिकारी कटेनमेट एरिया कटनी / विजयराघवगढ / बहोरीबद / दीमरखेडा जिला कटनी की ओर सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर
जिला कटनी